P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-11*(Part-2) February 2019
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

गुप्त एवं हर्षकाल में महिलाओं की दशा : चीनी यात्रा वृत्तांतों के विशेष विवरण के आधार पर एक विश्लेषण

श्रीराम शर्मा
शोधार्थी,
इतिहास एवं भारतीय संस्कृति विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

गुप्त एवं हर्षकालीन महिलाओं की दशा पर चीनी यात्री फाहियान, ह्वेनसांग आदि एवं भारतीय ग्रंथकारों ने पर्याप्त विवरण उपलब्ध कराया है। इनसे उच्च एवं निम्नवर्गीय महिलाओं की जीवनदशा से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। हर्ष एवं गुप्त काल में जहाँ उच्चवर्गीय महिला की जीवन दशा उच्चस्तरीय थी, वहीं निम्नवर्ग से संबंधित महिला की जीवनदशा निम्नस्तरीय थी। चीनी यात्रियों ने अपने भारत भ्रमण के दौरान महिलाओं की दशा पर आँखों देखा हाल लिखा है। वहीं भारतीय ग्रंथों में महिलाओं से सम्बन्धित नियम, उपनियम, विधि, निषेधों का वर्णन किया गया है। शासकीय परिवारों से संबंधित राज्यश्री एवं प्रभावती गुप्ता शासन संचालन में भाग लिया करती थी। ये शासकीय महिलायें विधवा होने पर भी राजसी जीवन जीया करती थी वहीं आम विधवा महिला का जीवन नारकीय था। आम जीवन में पर्दा प्रथा का अभाव था। महिलायें धार्मिक जीवन भी व्यतीत करती थी। पुत्र की अपेक्षा पुत्री का जन्म दुःख का कारण माना जाता था। इस प्रकार उच्च एवं निम्न वर्ग की महिलाओं की जीवन दशा में काफी अंतर था।

मुख्य शब्द : अंतःपुर, सती, पर्दाप्रथा, गणिका, आम्रपाली, गुप्तकाल, हर्षकाल, ग्रहवर्मा।

प्रस्तावना

चीनी यात्री फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग आदि ने भारत भ्रमण करते हुए महत्वपूर्ण विवरण उपलब्ध कराया है। फाहियान ने गुप्तकाल में (399–414 ईस्वी), ह्वेनसांग ने हर्षकाल में (629–647 ईस्वी) तथा इत्सिंग ने सातवीं सदी में भारत यात्रा की। इन्होंने भारत में महिलाओं की दशा का वर्णन किया है। समकालीन भारतीय ग्रंथों कादम्बरी, हर्षचरित, अभिज्ञान शाकुन्तलम, याज्ञवल्क्य स्मृति एवं अन्य ग्रंथों में भी महिलाओं संबंधी वर्णन प्राप्त होता है। स्त्रियों की दशा वह मापक है जिसके द्वारा किसी समाज की वैज्ञानिकता एवं विकासशीलता के बारे में ज्ञात किया जा सकता है। यद्यपि गुप्तकाल एवं हर्षकाल में सामाजिक गठन पितृसत्तात्मक था किन्तु स्त्रियों की दशा पतित नहीं थी। गुप्तकाल से हर्षकाल तक परिवार सामाजिक जीवन की इकाई ही नहीं, बल्कि समाज की आधारशिला थे। जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी अवस्था पारिवारिक संगठन के अन्तर्गत ही संचालित होती थी। महिला माता, पत्नी, बहिन, पुत्री के रूप में समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। परिवार पुरूष प्रधान अवश्य थे लेकिन महिला परिवार की धुरी थी।

अध्ययन का उद्देश्य

चीनी यात्रियों के यात्रावृत्तांतों एवं समकालीन भारतीय ग्रंथों में उल्लिखित महिलाओं की दशा पर विवरण के आधार पर गुप्त एवं हर्षकाल में महिलाओं की दशा का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण प्रस्तुत करना ही इस शोधपत्र का मुख्य उद्देश्य रहा है। इस शोध पत्र का उद्देश्य यह पड़ताल करना भी है कि क्या चीनी यात्रियों के यात्रावृत्तांतों में महिलाओं की दशा पर प्रस्तुत विवरण एवं समकालीन भारतीय ग्रंथों में प्रस्तुत विवरण में समानता है अथवा वैभिन्यता है अथवा परस्पर विपरीत विवरण प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार गुप्तकाल एवं हर्षकाल में महिलाओं की दशा पर निष्पक्ष मूल्यांकन प्रस्तुत करना प्रमुख उद्देश्य रहा है।

साहित्यावलोकन

आर.सी. मजूमदार की पुस्तक ''द क्लासिकल अकाउण्ट्स ऑव इण्डिया'' में यात्रा वृत्तांतों के आधार पर भारत की सामाजिक–सांस्कृतिक दशा पर भी विवरण दिया गया है, के.सी. खन्ना की पुस्तक ''भारत में विदेश यात्री'' में भी विदेशी यात्रियों का महिला सम्बन्धित विवरण प्रदान किया गया है। डॉ. उर्मिला प्रकाश मिश्र ने ''प्राचीन भारत में नारी'' सम्बन्धित विवरण प्रदान किया है,

डॉ. अन्विता आनंद ने ''गुप्तकाल में नारियों की स्थिति'' में महिलाओं की दशा से सम्बन्धित विवरण दिया है। जयशंकर मिश्र की पुस्तक ''प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास'' में भी प्राचीन भारत में महिलाओं की दशा पर विवरण प्रदान किया गया है।

यद्यपि इन पुस्तकों में प्राचीन भारत में महिलाओं की दशा से सम्बन्धित विवरण प्रदान किया गया है तथापि इनमें चीनी यात्रियों एवं भारतीय ग्रन्थकारों द्वारा प्रस्तुत विवरण के आधार पर महिलाओं की दशा पर विश्लेषण अभी तक नहीं हुआ। प्रस्तुत शोधपत्र में चीनी यात्रियों एवं भारतीय ग्रंथकारों द्वारा प्रस्तुत विवरण के आधार पर प्राचीन भारत में महिलाओं की दशा का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण किया गया है।

विषय विस्तार

गुप्तकाल एवं हर्षकाल में महिलायें यद्यपि बड़ी संख्या में वैदिक शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाती थी लेकिन ललित कलाओं में स्त्रियों की निपुणता के उल्लेख गुप्तकालीन साहित्य ग्रंथों में प्रचुरता से प्राप्त होते हैं। इस युग में नारी का स्तर अच्छा था। राज परिवार एवं उच्च वर्ग में पूर्ण समानता थी। उच्च वर्ग की कन्याओं को उच्च शिक्षा देने की प्रथा समाज में प्रचलित थी। शासकीय परिवारों में कन्याओं को राजकार्य का प्रशिक्षण दिया जाता था। चन्द्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता ने वाकाटक राज्य को संभाला था।[1] वाकाटक शासक रूद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात् उसकी पत्नी प्रभावती गुप्ता वाकाटक राज्य की संरक्षिका बनी थी तथा सफलतापूर्वक शासन सत्ता का संचालन किया था।

चीनी यात्री ह्वेनसांग भी महिलाओं द्वारा शासन संचालन का विवरण उपलब्ध कराता है। वह उल्लेख करता है कि ब्रह्मपुर देश पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। पूर्वी स्त्रियों के प्रदेश के समान यह देश भी स्त्रियों का है। वर्षों से यहां की स्वामिनी एक स्त्री रही है।[2] इस कारण इस देश को स्त्रियों का राज्य कहते हैं। यद्यपि इस स्त्री का पति राजा कहलाता है। परन्तु राजकीय कार्यों से उसका कुछ सम्बन्ध नहीं है।[3] पुरूषों का काम केवल लड़ना और भूमि का जोतना–बोना है। शेष काम स्त्रियां ही करती हैं। राज्य भर में यही दस्तूर है। हर्षवर्धन की बहिन राज्यश्री का विवाह मौखरि राजा ग्रहवर्मा के साथ सम्पन्न हुआ था लेकिन मालवा के शासक देवगुप्त ने कन्नौज पर आक्रमण कर ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। उसकी मृत्यु के पश्चात् राज्यश्री ने वहां की शासन सत्ता हर्ष के साथ संयुक्त रूप से संभाली।

अमरकोश में स्त्री शिक्षिका और वेदों में पारंगत कन्याओं का वर्णन मिलता है। कन्याएं मेलों, उत्सवों में सम्मिलित होती थी और खेलों में भाग लेती थी।[4] महिला शिक्षा का एक अन्य विवरण ह्वेनसांग से प्राप्त होता है जिसमें वह उल्लेख करता है कि हर्षवर्धन की बहिन राज्यश्री भी राजसभा में बैठकर विद्वानों के साथ वाद–विवाद में भाग लेती थी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उच्चवर्गों में महिलाओं को शिक्षा प्रदान की जाती थी। गुप्तकालीन कवि कालिदास भी अपनी रचना अभिज्ञानशाकुन्तलम में महिलाओं के शिक्षित होने तथा कई कलाओं में प्रवीण होने का उल्लेख करता है।

फाहियान अपने यात्राक्रम में ईखा देश पहुंचता है। वह यहां की स्त्रियों के पुरूषों के समान ही वस्त्र पहनने का उल्लेख करता है।[5] वह विवरण देता है कि ईखा देश के राजा के अंतःपुर में स्त्रियां भी राजकीय वस्त्र पहनती थी। इनके परिच्छद गज–गजभर भूमि में लौटते चलते थे। इनके वस्त्रों को उठाने के लिए अलग से सेवकों की व्यवस्था होती थी। यहां कि स्त्रियां फुटभर से लंबी आठ सींगे सिर पर धारण करती थी। ये तीन–तीन फुट तक लंबी लाल–मूंगे की बनी और अनेक रंगों की होती थी। यह उन स्त्रियों का मुकुट था। राजा के अन्तःपुर की स्त्रियां जब कहीं अन्यत्र गमन करती थी तब इन सब को धारण करके जाती थी। घर पर वे स्वर्णजड़ित पीढ़ों पर बैठती थी। पीठ हाथी के दांत की होती थी। नीचे सिंह की चार मूर्तियाँ बनी रहती थी। वह उल्लेख करता है कि इसके अतिरिक्त मंत्रियों की स्त्रियों और राजा के अंतःपुर की स्त्रियों का आचार–विचार शेष बातों में समान था। मंत्रियों की स्त्रियां भी मुकुट पर सींग धारण करती थी। इन सींगों में चंदवे के समान झब्बे लटका करते थे। वह उल्लेख करता है कि धनी और निर्धन के वस्त्र भिन्न–भिन्न होते थे।

महिलाओं को नृत्य, संगीत, वाद्य, काव्य, चित्रकला, मालाग्रन्थन की शिक्षा प्रदान की जाती थी पर यह उच्चकुलों तक ही सीमित थी। बाणभट्ट के हर्षचरित में राजश्री द्वारा नृत्य–संगीत एवं अन्य कलाओं में प्रवीणता प्राप्त करने का वर्णन है।[6] राज्यश्री नृत्यकला में प्रवीण थी तथा वह अन्य कलाओं की शिक्षा प्राप्त कर रही थी।[7] महिलायें नृत्य–गान में प्रवीण होती थी। उस समय के ग्रंथों में इससे सम्बन्धित उल्लेख प्राप्त होते हैं। प्राचीन भारत में कन्यायें मंदिरों में देवदासी के रूप में नृत्य–गान करती थी। मुल्तान के सूर्य मंदिर के सम्बन्ध में ह्वेनसांग उल्लेख करता है कि यहाँ पर स्त्रियाँ ही गाती–बजाती हैं, दीपक जलाती हैं तथा सुगंध, पुष्प इत्यादि से पूजा–अर्चना करती हैं।[8]

गुप्तकाल एवं हर्षकाल में विधवा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उच्चवर्णों एवं राजपरिवारों में विधवाएँ स्वयं विवाह करना पसंद नहीं करती और धार्मिक जीवन व्यतीत करती थी। निम्न वर्ग में सामान्यतया पुनर्विवाह हो जाया करते थे। धर्म से गिरने वाली विधवा अनादर की पात्र थी किन्तु धर्मयुक्त विधवा सर्वत्र सम्मान पाती थी।[9] गुप्तकालीन विधवा विवाह का एक ऐतिहासिक उदाहरण ध्रुवस्वामिनी और चन्द्रगुप्त का विवाह है। ध्रुवस्वामिनी रामगुप्त की पत्नी थी और रामगुप्त की मृत्यु के पश्चात् उसके छोटे भाई चन्द्रगुप्त से विवाह किया था। यह विवाह असाधारण परिस्थितियों में किया गया था।[10]

यद्यपि एरण अभिलेख में किसी गोपराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख प्राप्त होता है फिर भी इसका प्रचलन अधिक नहीं हो पाया था। विधवाओं की इच्छा पर छोड़ दिया गया था कि वे पति की मृत्यु के बाद आत्मदाह करें या साध्वी बनकर जीवनयापन करें। रामगुप्त की पत्नी ध्रुवस्वामिनी ने अपने देवर चन्द्रगुप्त द्वितीय से विवाह कर लिया था और प्रभावती गुप्ता ने अपने अल्पव्यस्क पुत्रों की संरक्षिका के रूप में शासन किया था। हर्षवर्धन की बहिन राज्यश्री ने भी अपने पति

ग्रह वर्मा के मारे जाने के बाद पुनर्विवाह न करके सम्राट हर्ष के साथ संयुक्त रूप से राज्य शासन संचालित किया।

चीनी यात्रियों ने अपने विवरण में कहीं भी पर्दाप्रथा की उपस्थिति का वर्णन नहीं किया है। स्त्रियां स्वतंत्र रूप से बिना पर्दा किये भ्रमण कर सकती थी, वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरूष के कंधें से कंधा मिलाकर कार्य करती थी। चाहे ह्वेनसांग द्वारा उल्लिखित ब्रह्मपुर की स्त्री शासिकाएँ हों या ईखा प्रदेश की स्त्रियां[12], सभी स्वतंत्र रूप से अपनी सौंदर्य प्रसाधन संबंधी गतिविधियों अथवा राज्य संचालन संबंधी कार्यों को करती थी। इनके विवरण में ह्वेनसांग एवं फाहियान ने कहीं भी पर्दाप्रथा का उल्लेख नहीं किया है। वे स्वतंत्ररूप से ज्ञानार्जन करती तथा सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों में अपना योगदान देती थी, तद्युगीन साहित्य में पर्दाप्रथा के विपक्ष में भी उदाहरण मिलते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष की बहिन राज्यश्री बिना किसी पर्दे के राजदरबार में उपस्थित होती थी।[13] युवतियाँ जनसमूह के समक्ष केवल उपस्थित ही नहीं होती अपितु अपनी कला का प्रदर्शन भी करती थी।

भारतीय ग्रंथों में नारी को शक्तिस्वरूपा समझा जाता था तथा उसे देवीस्वरूपा मानकर उसकी पूजा–अर्चना की जाती थी। बाणभट्ट ने अपने ग्रंथ हर्षचरित में गौरी के समान ही राज्यश्री को यशोवती के गर्भ से उत्पन्न होना बताया है।[14] हालांकि कुछ साहित्यिक विवरणों से स्त्री की पराधीनता या परवशता भी सूचित होती है जिसके अन्तर्गत स्त्री को जन्म से ही नियंत्रण में रखा जाता था। संभवतः इसके पीछे सुरक्षात्मक कारण भी हो सकते हैं। बाण ने अपनी रचना में कन्या को धरोहर बताया है[15] जिसका कर्त्तव्य भार पिता पर बताया गया है। प्रायः समाज में पति की सर्वोच्चता थी।[16] इसका परिचय हमें हर्षचरित से मिलता है। जब प्रभाकर वर्धन ने राजश्री के विवाह के सम्बन्ध में अपनी पत्नी यशोमति से पूछा तो उसका उत्तर था माताएं पुत्री की पालनकर्ता के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं। पुत्री को किसी दूसरे को समर्पित करने के मामले में पिता ही सर्वोच्च है।[17] समाज में माता का भी सम्माननीय स्थान था। हर्षवर्धन ने ताम्रपत्र में पिता प्रभाकरवर्धन के साथ अपनी माता राहल्लनदेवी का उल्लेख किया है। जो नारी संयम का आचरण करने में असमर्थ रहती थी अथवा अपना आर्थिक उपार्जन संगीत नृत्य से करती थी, वह गणिकावर्ग की संख्या में वृद्धि करती थी। गणिका केन्द्र भव्य प्रांगणों में होते थे जिनमें संगीत शाला होती थी। गणिकायें पशु–पक्षी भी पालती थी। नाटक, संगीत नृत्य, वाद्यों में अपने निवास पर व्यस्त रहती थी। ह्वेनसांग उल्लेख करता है कि वैशाली की एक गणिका आम्रपाली द्वारा बुद्ध को आम्रवाटिका प्रदान की गई थी। जहाँ पर एक स्तूप निर्मित था। इसने बुद्ध की शिष्यता ग्रहण कर ली थी।[18]

हर्षकाल एवं उसके पश्चात् महिलायें भिक्षुणी बनकर धार्मिक जीवन जीने के लिये स्वतंत्र थी। चीनी यात्री इत्सिंग इस संबंध में विवरण प्रदान करता है। भिक्षुणियों को भी भिक्षुओं के समान नियमों का पालन करना पड़ता था। इत्सिंग विवरण प्रदान करता है कि उपसम्पदा के समय भिक्षुणियों को भी भिक्षुओं के समान नियमों का पालन करना पड़ता था। किसी भी वर्ग की भिक्षुणी संघ में प्रवेश ले सकती थी। 20 वर्ष से कम आयु वर्ग की महिलाओं का संघ में प्रवेश संभव नहीं था। विवाह के बारह वर्ष पूर्ण कर चुकी महिला ही अपने पति की आज्ञा अथवा पति की मृत्यु के पश्चात् संघ में प्रवेश पा सकती थी।[19]

चीनी यात्रियों एवं भारतीय लेखकों द्वारा उच्चवर्गीय महिलाओं पर प्रस्तुत विवरण महिलाओं की दशा के एक पक्ष को ही उद्घाटित करते हैं। सामान्य महिलायें उक्त कालों में ही विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रही थी। पूर्ववर्तीकालों की भाँति गुप्तकाल में भी केवल पुत्रियों को जन्म देने वाली स्त्री को निम्न दृष्टि से देखा जाता था।[20] कन्या रूप का प्रतीक थी। इसलिए उसे अनेक सामाजिक बन्धनों में रखा जाने लगा। पिता के न रहने पर भाई उसकी देखभाल करता था।[21] पति की मृत्यु उपरांत जीवित रहने वाली विधवाएं सांसारिक एवं ऐन्द्रिय सुखों से अपने आपको पूर्णतः वंचित रखते हुए अत्यन्त संयम, नियमपूर्वक ब्रह्मचारिणी के रूप में जीवन व्यतीत करती थी। उसे मुख्य घर से अलग दूसरे घर में रखे भोजन–वस्त्र दिये जाते थे।[22] विधवा के लिए आभूषणों का त्याग, केश–सज्जा परित्याग, श्वेत या मलिन वस्त्र धारण करना, अंजन का प्रयोग न करना आदि प्रावधान किये गये।[23] गरीबी, भूख एवं जीवन से निराश स्त्रियाँ दासी बन जाती थी।[24] हर्षकाल तक आते–आते पुत्री की स्थिति अब परिवार में पुत्र की अपेक्षा बहुत गिर गई थी। कथासरित्सागर में पुत्र को सुख का प्रकार एवं पुत्री को दुःख का मूल बताया गया है। कुलीन परिवारों की स्त्रियों पर धनार्जन का उत्तरदायित्व तो नहीं था, लेकिन निम्न श्रेणी के परिवारों में कन्याओं पर यह दायित्व था। इसलिए निम्न जाति की स्त्रियाँ पति या पिता के सहायतार्थ जीविकोपार्जन की क्रियाएँ करती थी। चीनी यात्री फाहियान ने भी धनी एवं निर्धन महिलाओं के वस्त्रों में भिन्नता बताई है अर्थात् निम्नवर्गीय महिलाओं के वस्त्र उच्चवर्गीय महिलाओं के वस्त्रों के समान उच्च स्तरीय नहीं हुआ करते थे।

निष्कर्ष

इस प्रकार चीनी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों एवं समकालीन भारतीय ग्रंथों में महिलाओं की दशा पर उल्लिखित विवरण के आधार पर महिलाओं की दशा के उच्च एवं निम्न दोनों ही स्तर प्राप्त होते हैं। उच्चवर्गीय महिलाओं की समाज में अब भी सम्मानजनक स्थिति थी। वे पुरूषों के समान ही अधिकारों का प्रयोग करती थी। शासनसत्ता का संचालन करती थी तथा राजसी सुखों का उपभोग करती थी। वे सभा गोष्ठियों आदि में परस्पर वाद–विवाद में भी भाग लिया करती थी। हालांकि उच्चवर्गीय महिलाओं के शैक्षिक स्तर में गिरावट आई थी। वे अब गुरूकुल में शिक्षा प्राप्त नहीं करती थी लेकिन उन्हें नृत्य–संगीत, चित्रकला, वाद्य, काव्य आदि की घर पर ही शिक्षा उपलब्ध करायी जाती थी। शासकीय परिवारों की विधवाएं भी स्वतंत्रता पूर्वक जीवन का विचरण करती थी।

वहीं निम्नवर्गीय महिलाओं की स्थिति इसके विपरीत थी। उनका जीवन स्तर निम्न होता था। समाज में उन्हें पुरूषों से कमतर स्थान प्राप्त था। शिक्षा तक

उनकी पहुँच नहीं थी। वे आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करती थी। उनके वस्त्र भी बेहद साधारण होते थे जैसाकि फाहियान ने निम्न एवं उच्चवर्गों के वस्त्रों में भिन्नता बताई है। पुत्री को जन्म देने वाली महिला को निम्न दृष्टि से देखा जाता था। कन्या को दुःख का कारण समझा जाता था। विधवा महिला को कष्टकारक एवं अमानवीय जीवन जीना पड़ता था। निम्न परिवारों की महिलाओं को जीविकोपार्जन हेतु कठोर परिश्रम करना पड़ता था।

अंत टिप्पणी

1. *डॉ. अल्तेकर, पोजिशन ऑफ वुमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, पृ. 187*
2. *वाटर्स, टी., ऑन युवान च्वांग्स ट्रेवल्स इन इण्डिया, भाग–1, पृ. 230*
3. *वही, भाग–2, पृ. 257*
4. *डॉ. उर्मिला प्रकाश मिश्र, ''प्राचीन भारत में नारी'', पृ. 233*
5. *चीनी यात्री फाहियान का यात्रा विवरण, अनु. जगन्मोहन वर्मा, उपक्रम, पृ. 11*
6. *विद्यालंकार, सत्यकेतु, भारतीय इतिहास का पूर्वमध्य युग, पृ. 364*
7. *मिश्र, जयशंकर, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, पृ. 421*
8. *वाटर्स, टी. पूर्व निर्दिष्ट, भाग–2, पृ. 354*
9. *डॉ. अन्विता आनन्द, गुप्तकाल में नारियों की स्थिति, पृ. 44*
10. *रतिभान सिंह नाहर, प्राचीन भारत का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, पृ. 382*
11. *डॉ. शशि अवस्थी, प्राचीन भारतीय समाज, पृ. 400*
12. *वाटर्स, टी., पूर्व निर्दिष्ट, भाग–1, पृ. 230*
13. *ओझा, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, पृ. 66*
14. *हर्षचरित, 4 (167–76)*
15. *वही, 4 (231)*
16. *डॉ. शशि अवस्थी, प्राचीन भारतीय समाज, पृ. 431*
17. *वही*
18. *शर्मा, ठाकुर प्रसाद, ह्वेनसांग की भारत यात्रा, पृ. 229*
19. *विनय, चुल्लवग्ग, 10.18.2*
20. *याज्ञवल्क्य स्मृति, 1/73*
21. *डॉ. अन्विता आनंद, गुप्तकाल में नारियों की स्थिति, पृ. 41*
22. *डॉ. उर्मिला प्रकाश मिश्र, प्राचीन भारत में नारी, पृ. 125*
23. *ममता मिश्र, गुप्तयुगीन समाज व्यवस्था, पृ. 114*
24. *डॉ. अन्विता आनन्द, गुप्तकाल में नारियों की स्थिति, पृ. 46*